

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञापित
दिनांक: 20.04.2017

सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में छावनी परिषद के एक कनिष्ठ अभियन्ता एवं प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 70,000 रू. की घूस की माँग व स्वीकार करने के कथित घूसखोरी मामले में एक कनिष्ठ अभियन्ता, छावनी परिषद, सुबाथु, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) एवं एक प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

शिकायत में ऐसा आरोप था कि छावनी क्षेत्र में सड़क एवं जमीन पर फिसलन विरोधी टाइल्स लगाने हेतु 30 लाख रू. (लगभग) के दो ठेकों को शिकायतकर्ता के फर्म के पक्ष में छावनी परिषद, सुबाथु, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) द्वारा ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित कर दिया गया। ठेकों के आवंटन के पश्चात, शिकायतकर्ता कनिष्ठ अभियन्ता, छावनी परिषद के पास कार्य स्थल सुनिश्चित करने के लिए पहुँचा, लेकिन कनिष्ठ अभियन्ता ने कार्य स्थल को दिखाने में अनिच्छा जाहिर की। हालाँकि, उनके बार-बार निवेदन पर, कनिष्ठ अभियन्ता ने शिकायतकर्ता को आंशिक कार्य स्थल आवंटित कर दिया जिसके लिए विभाग के द्वारा 8,60,974 रू. (लगभग) का भुगतान किया गया। बाद में, जब शिकायतकर्ता ने बचे हुए कार्य स्थल के आवंटन को माँगा तो, आरोपी ने 10 प्रतिशत कमीशन/ घूस की माँग की एवं उनसे कहा कि जब तक उसे 10% का कमीशन नहीं दिया जायेगा वह तब तक कार्य स्थल नहीं दिखाएगा। आरोपी ने अपनी ओर से एक अन्य ठेकेदार (प्राइवेट व्यक्ति) को घूस राशि देने हेतु शिकायतकर्ता को निर्देशित किया।

सीबीआई ने जाल बिछाया जिसमें प्राइवेट व्यक्ति को शिकायतकर्ता से 70,000 रू. स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। बाद में उक्त कनिष्ठ अभियन्ता भी गिरफ्तार हुआ। आरोपी के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों पर तलाशी ली गई।

गिरफ्तार दोनों आरोपियों को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, शिमला के समक्ष आज पेश किया जा रहा है।
